

डिफ़्टी बमुकदम ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 376/2022

- 1 राजपाल पुत्र स्व. श्री सुरजीत पुत्र स्व श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया।
- 2 विजयपाल पुत्र स्व. श्री सुरजीत पुत्र स्व श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया।

बनाम

- वादीगण

- 1 तारा देवी पत्नी स्व. श्री सुरजीत पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया।
- 2 प्रमिला पुत्री स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री भीम पारिक वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री जितेन्द्र लोहरा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिफ़ी दो जाती है कि

प्रतिवादी संख्या 2 प्रमिला पुत्री स्व. श्री भागीरथ के नाम चक 13 पीटीपी खाता संख्या 41/39 ज.स. 2073-2076 में दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 को 2.403 नहरी मय गै.मु. एवं वादी संख्या 2 को 3.416 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का उक्तानुसार हिरसा कम करने एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. वादी संख्या 1 राजपाल पुत्र स्व. श्री सुरजीत पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया के हक हिरसा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक 13 पी.टी.पी. खाता संख्या 41/39 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
120/146	30	6/1/0.114 है. 6/2/0.012 है. 7/0.127 है. 8/0.127 है. 9/0.126 है. 10/0.126 है. 11 ता 14/0.253 है. प्र.15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है.
123/146	33	20,21/0.253 है. प्र. मुमकिन 2.366 है. गै.मु. 0.037 है. कुल 2.403 है मय गै.मु. कृषि भूमि

2. वादी संख्या 2 विजयपाल पुत्र स्व. श्री सुरजीत पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया के हक हिरसा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक 13 पी.टी.पी. खाता संख्या 41/39 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
120/146	30	6/1/0.114 है. 6/2/0.013 है. 7/0.126 है. 8/0.126 है. 9/0.127 है. 10/0.127 है.
122/147	35	1/1/0.228 है, 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है.
122/146	32	17 ता 20/0.253 है. प्र. 21/1/0.228 है., 21/2/0.025 है. 22/1/0.228 है. 22/2/0.025 है. 23/1/0.228 है. 23/2/0.025 है. 24/1/0.228 है. 24/2/0.025 है. मुमकिन 3.228 है. गै.मु. 0.188 है. कुल 3.416 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3 प्रतियाँ जारी की जायें। 2 प्रतियाँ प्रकृति एवं श्री भागीरथ जालि जाट निवासी किशनपुरा उत्तराखा
 सहयोग सं. 1241 को उनके पत्र सं. 10 का जवाब के तौर पर जारी की जायें।

13 फरवरी 2017 को संख्या 41/39 जमाव-नी सम्बन्ध 2073-2076

क्र.सं.	मु.नं.	किला नम्बर
120/140	30	16/1/0228 हे. 16/2/0025 हे. 17 वा 24/0253 हे.प्र. 25/1/0228 हे. 25/2/0025 हे.
120/147	37	2 वा 4/0253 हे.प्र 5/1/0228 हे. 5/2/0025 हे., 6/1/0228 हे., 6/2/0025 हे. 7 वा 9, 12 वा 14/0253 हे.प्र. 15/1/0228 हे. 15/2/0025 हे. 17 वा 19, 22,23/0253 हे.प्र
	36	8 वा 8, 12 वा 15/0253 हे.प्र
	35	10,11/0253 हे.प्र कुल 8002 हे. मय में मु. कृषि भूमि



यदि वादग्रस्त आग जी बैंक रहन ही तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पत्र हान पर
 सहायक रिकार्ड में अमल दरामद किया जाय।

7 निल 7 मुयिक 7 निल 7 वायत 7 निल 7 खचां मुकदमें क मय
 हुद शर कोसदा सालाना आज की तारीख वसूल्यावी तक 7 अदा करें।

7 मर दकाख एवं मुहर अदादत से आज दिनांक 26.5.2017 को जारी किया
 जाय।

(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारिया
 संगरिया

